



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1936 (श०)
(सं० पटना ६३०) पटना, शुक्रवार, 1 अगस्त 2014

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
31 जुलाई 2014

सं० बिक्री-कर/विविध-43/11-3503—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-24 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयुक्त द्वारा विभागीय सर्वर पर अतिरिक्त भार होने के कारण ऑन-लाइन विवरणियों के दाखिला में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास के लिए विवरणी दाखिल करने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-6083, दिनांक 29.08.2012 के साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट तिथि दिनांक 05.08.2014 निर्धारित की जाती है।

आगे की अवधि हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-6083, दिनांक 29.08.2012 यथावत प्रभावी रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,
आयुक्त, वाणिज्य-कर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 630-571+500-८००८००१।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>